न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 34/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/55

अपीलान्ट	बनाम	प्रत्यार्थीगण
मूली देवी पुत्री स्व. भुवाना राम पत्नी श्री कन्हैया लाल जाति नायक निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचमान हाल निवासी भीलवाड़ा।		1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन। 2. आयुक्त नगर परिषद कुचामन सिटी 3. मन्ना पुत्र जग्गा नायक के कायम मुकाम 3/1. नागर पुत्र मन्ना नायक 3/2. रामु पुत्र मन्ना नायक 3/3. जौधा पुत्र मन्ना नायक समस्त जाति नायक निवासियान नायकों का मोहल्ला डीडवाना रोड़ कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

उपस्थितः–

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह मेड़तिया कुचामन सिटी वकील अपीलांट की ओर से।
2. श्री हरफुल राव वकील प्रत्यार्थीगण संख्या 03/1 से 3/3 की ओर से।

अपील नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 24.10.1989 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां (उत्तर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णयः–

दिनांकः 19.11.2024

अपीलार्थी की अपील के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है किः–

1. मोजा ग्राम कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 270 रकबा 118 बीघा 6 बिस्वा रही थी जिसके नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में खसरे को तोड़कर नये खसरा संख्या 915 रकबा 0.06 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 916 रकबा 1.31 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 919 रकबा 1.05 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं0 920 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0 ढाणी, खसरा सं0 921 रकबा [illegible] हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 922 रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं0 923 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा सं0 924 रकबा 0.34 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं0 925 रकबा [illegible] हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 926 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा सं0 927 रकबा 0.27 हैक्टयर, बारानी दोयम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

खसरा सं0 928 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म गै0मु0 ढाणी, खसरा सं0 929 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा सं0 936 रकबा 0.14 हैक्टयर, किस्म बारानी द्वितीय, खसरा सं0 937 रकबा 0.02 हैक्टयर, गै0मु0 रास्ता, खसरा सं0 938रकबा 0.19 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 939 रकबा 0.20 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 940 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता, खसरा सं0 941 रकबा 0.37 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 942 रकबा 0.22 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता, खसरा सं0 943 रकबा 0.51 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 944 रकबा 0.19 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 945 रकबा 0.21 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 946 रकबा 0.08 हैक्टयर, गै0मु0 रास्ता, खसरा सं0 947 रकबा 0.06 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 951 रकबा 0.02 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 952 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता, खसरा सं0 953 रकबा 0.08 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 954 रकबा 0.36 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 961 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0 ढाणी, खसरा सं0 962 रकबा 2.17 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 963 रकबा 1.63 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 965 रकबा 0.86 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 966 रकबा 1.21 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 967 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0 ढाणी, खसरा सं0 968 रकबा 1.87 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 970 रकबा 0.01 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता, खसरा सं0 971 रकबा 0.01 हैक्टयर गै0मु0 ढाणी, खसरा सं0 972 रकबा 1.25 हैक्टयर गै0मु0 ढाणी, खसरा सं0 973 रकबा 0.03 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 975 रकबा 1.12 हैक्टयर बारानी दोयम व खसरा सं0 2475 / 921 रकबा 0.68 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 904 रकबा 0.11 हैक्टयर बारानी दोयम, खसरा सं0 2688 / 954 रकबा 0.03 हैक्टयर गै0मु0 ढाणी कायम हुए।

2. वादिया के पिता भुवानाराम पुत्र छोटु पुराने खसरा सं0 270 में 05 बीघा भूमि के खातेदार मांगीया, मोती, अमरया पुत्र लादु 10 बीघा भूमि के खातेदार तथा मन्ना पुत्र जग्ग 12 बीघा भूमि के खातेदार संवत 2010 से संवत 2045 तक राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार दर्ज रहे तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खतोनी बंदोबस्त में संवत 2008–27 में भी इसी प्रकार दर्ज रहे थे।

3. नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय पर्चा लगान 05 बीघा भूमि का भुवाना पुत्र छोटु नायक के नाम जारी किया गया इस पर्चा लगान को नियत अवधि में मन्ना पुत्र जग्गा कोम नायक द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां (उत्तर) के समक्ष कोई चुनोती नहीं दी गई। जब खतोनी बंदोबस्त संवत 2046–65 बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा तैयार की गई उसमें भुवाना पुत्र छोटु कोम नायक 0.73 हैक्टयर भूमि का खातेदार, मांगीया, मोती, अमरया पिसरान लाडु कोम नायक 0.44 हैक्टयर भूमि का खातेदार तथा मन्ना पुत्र जग्गा 1.76 हैक्टयर दर्ज किया गया परन्तु फिर काट कर 2.49 हैक्टयर द[illegible]या है। मांग्या, मोती, अमरया पिसरान लादु द्वारा अ[illegible] रोखण्ड, कालुराम पुत्र जीवनराम [illegible] मोटी, भगवानाराम पुत्र प्रतापराम खींची, भंवरलाल पुत्र हीरालाल [illegible] को बैचान कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिया जिसका नामान्तरकरण सं0 43 दिनांक 18.11.1991 स्वीकृत होकर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये।

4. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां उत्तर द्वारा पत्रावली संख्या 44 / 89 में आदेश दिनांक 23.10.1989 को बिना किसी क्षेत्राधिकारिता के कानून के विपरीत जाकर यह आदेश दिया गया कि गत खसरा संख्या 270 में दर्ज मन्ना पुत्र जग्गा 12 बीघा, मांगीया मोती अमरया पिसरान लादू 3 बीघा, भुवाना पुत्र छोटू 5 बीघा के स्थान पर मन्ना पुत्र जग्गा 3.16 हैक्टयर व शेष हिस्सा मांगीया मोती अमरया पिसरान लादू व भुवाना पुत्र छोटू के नाम दर्ज किया जावे यह विधि विरूद्ध आदेश भुवाना व उसके वारिसा अपिलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया। इस विधि विरूद्ध आदेश की पालना में भू–मापक द्वारा भरा गया कि श्रीमान जी मुताबिक आदेश दिनांक 23.10.1989 के नामान्तरकरण दर्ज किया चूँकि रकबा मांगीया वगै. व भुवाना के खाते का कम होने से रकबा 2.93 हैक्टयर दर्ज किया। यह नामान्तरकरण खसरा संख्या 915, 916, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 में मन्ना पुत्र जग्गा 1.76 हैक्टयर, मांगीया, मोती, अमरया पिसरान लादू 0.44 हैक्टयर जाति नायक व भुवाना पुत्र छोटू हिस्सा 0.73 हैक्टयर जाति नायक की खातेदारी की भूमि में मांगीया, मोती अमरया पिसरान लादू व भुवाना पुत्र छोटू का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर केवल मन्ना पुत्र जग्गा के नाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां उत्तर द्वारा स्वीकृत किया गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है वैसे तो इस अवैध व विधि विरूद्ध दर्ज म्यूटेशन से अपीलांट के अधिकारों कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु इस म्यूटेशन की आड़ में रेस्पोडेंट संख्या 03 अपीलांट के हिस्से की 0.73 हैक्टयर भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जायेगा जिसे अपीलांट को भारी असुविधा व नुकसान होगा।

5. भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के समय भू–प्रबन्ध विभाग व भू–प्रबन्ध अधिकारी किसी भी कबे पर प्रविष्टियों को दोहरा सकता है परन्तु अन्यथा कोई प्रविष्टि दर्ज करने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री व सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना राजस्व प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नहीं है। बंदोबस्त विभाग अभिलेखों में विधमान प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसा परिवर्तन उसके अधिकार क्षेत्र से परे है। भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी दोराने भू–प्रबन्ध राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों को दोहराने के लिए बाध्य है वह नये परिवर्तन नहीं कर सकते है। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने, रकबा कम या अधिक करने के कोई कानूनीअधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी नावां उत्तर द्वारा पत्रावली संख्या 44 / 89 में दिनांक 28.10.1989 को पारित आदेश विधि सम्मत [illegible] से तथा इस आदेश के अनुसरण में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी [illegible] उत्तर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक [illegible] काबिल निरस्त किए जाने योग्य है जो निरस्त फरमाकर अपीलांट के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

नामान्तरकरण आदेश दिये जाकर दुरस्ती फरमाई जावें व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध भी विधि सम्मत आदेश दिया जावे।

6. नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 24.10.89 की जानकारी अपीलांट को पहले कभी नहीं रही, अपीलांट एक वृद्ध व अनपढ़ महिला है इसलिए वह इस नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी जब हाल ही में उसने अपनी भूमि की तस्दीक हेतु नकले भू–अभिलेखागार डीडवाना से दिनांक 12.04.2024 को अपने जानकार के मार्फत प्राप्त करने व वकील से परामर्श करने के बाद इस अवैध नामान्तरकरण भरे जाने की पुख्ता जानकारी होने पर जानकारी की दिनांक 12.04.2024 के अनुसार यह अपील मयाद भीतर पेश की जा रही है।

अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विधि विरूद्ध स्वीकृत किए गये नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 24.10.1989 को खारिज फरमाया जावे व अपीलांट के हक में नामान्तरकरण आदेश दिए जाकर दुरूस्ती करने का आदेश फरमाया जावे व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध भी विधि सम्मत आदेश फरमाने की कृपा करावें।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। भू–अभिलेख शाखा से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट सं0 03 की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने वकालतनामा व लिखित बहस पेश की। वकील अपीलांट ने भी लिखित बहस पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया गया। उक्त अपील सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

इस न्यायालय को तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण की अपील सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के क्रम में खोला गया है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः अपील श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की नहीं होने से लौटाई / खारीज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested